>

Title: Need to pass the Food Security Bill in the Parliament.

-

श्री ए.टी.नाना पाटील (जलगांव) ः

सरकार ने गरीबों को अनाज सस्ते में पहुंचाने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली तैयार की। लेकिन सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खामियों की वजह से सरकार की इस योजना का लाभ पात्र लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। सरकार ने बी.पी.एल. यानि गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को तथा अंत्योदय योजना के अंतर्गत 35 किलो तक अनाज सस्ते में देने का प्रावधान किया लेकिन आज स्थानीय स्तर पर जांच करे तो यह पता लगता है कि 35 किलो अनाज कहीं भी नहीं मिल पा रहा है और सरकार ने अनाज की जो दरें सुनिश्चित की हैं उस दर पर लोगों को अनाज नहीं मिल पा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गरीबों तक सस्ते में अनाज पहुंचाने को सुनिश्चित करने का यह उद्देश्य इस प्रणाली में अनियमितताओं के कारण असाध्य साबित हो रहा है।

कुछ महीने पहले उच्चतम न्यायालय द्वारा सरकार द्वारा खरीद किए गए अनाजों का भंडारण के अभाव में सड़ने के कारण इसे सड़ने के बजाय गरीबों में बांटने के निर्देश दिए गए, लेकिन सरकार इसे अव्यावहारिक बता रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली की खामियों को दूर करने के लिए तत्काल कदम उठाए और गरीबों की खाद्यान्न सुरक्षा को ध्यान में रखने के लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम जल्द से जल्द संसद में लाकर उसे पारित कर उसका पूरे देश में कार्यान्वयन सुनिश्चित करे।